भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1113

दिनांक 09 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय देयता

1113. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने वित्तीय वर्ष 2025 में 2,701 करोड़ रूपये का संचयी शुद्ध लाभ दर्ज किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष 2025 में शुद्ध लाभ अर्जित करने के बावजूद, डिस्कॉम पर पिछले दस वर्षों से 7 ट्रिलियन रूपये से अधिक का संचयी ऋण बना हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा लगभग 2.74 ट्रिलियन रूपये को "अस्थिर" घोषित किया गया है; और

(घ) इस देनदारी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पीएफसी की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार, 31.03.2025 तक डिस्कॉम-वार संचित अधिशेष/हानि और कुल उधार को **अनुबंध-I** में रखा गया है।

भारत सरकार वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से वितरण यूटिलिटी की सहायता कर रही है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचलनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई। स्कीम के तहत धनराशि जारी करना वित्तीय और प्रचालन मानकों के आधार पर राज्यों/वितरण यूटिलिटी के निष्पादन से संबद्ध है।

ii. राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% की अतिरिक्त उधार लेने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जो वितरण यूटिलिटी के वित्तीय निष्पादन सहित विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने पर सशर्त है।

iii. निर्धारित शर्तों के आधार पर विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

iv. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम तैयार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें शामिल हो जाएं।

v. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से, राष्ट्रीय स्तर पर सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई है, जबकि आपूर्ति की राष्ट्रीय औसत लागत - औसत राजस्व प्राप्त अंतर (एसीएस-एआरआर) 0.69 रुपये/केएचडब्ल्यू से घटकर 0.06 रुपये/केएचडब्ल्यू हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम ने पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।

वितरण यूटिलिटी की वित्तीय देयताएं संबंधित राज्य सरकारों की आक्समिक देयताएं हैं और उन्हें इस तरह से मान्यता दी जानी चाहिए। छह राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, जिनके पास डिस्कॉम के कुल उधार का बहुत ज्यादा हिस्सा (66%) अर्थात् उधार का परिमाण दिनांक 31.03.2025 तक 2,74,120 करोड़ रूपये है, को विनियामक ने (टैरिफ के माध्यम से रिकवरी के लिए) अनुमति नहीं दी है और इसे अस्थिर माना है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 1113

अनुबंध-I

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम-वार वित्तीय प्रचालन मापदंड

राज्य/डिस्कॉम	संचित अधिशेष/(हानि) (रुपये)	कुल ऋण (करोड़ रूपये)
राज्य क्षेत्र	**(6,77,561)**	**7,11,402**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**-**	**-**
अंडमान एवं निकोबार पीडी	-	-
आंध्र प्रदेश	**(29,420)**	**77,583**
एपीसीपीडीसीएल	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	**-**	**-**
अरुणाचल पीडी	-	-
असम	**(1,028)**	**1,131**
एपीडीसीएल	(1,028)	1,131
बिहार	**(16,526)**	**14,002**
एनबीपीडीसीएल	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	**(10,423)**	**5,428**
सीएसपीडीसीएल	(10,423)	5,428
दिल्ली	**-**	**-**
एनडीएमसी	-	-
गोवा	**-**	**-**
गोवा पीडी	-	-
गुजरात	**7,355**	**258**
डीजीवीसीएल	2,507	26
एमजीवीसीएल	877	9
पीजीवीसीएल	2,276	208
यूजीवीसीएल	1,695	15
हरियाणा	**(27,915)**	**20,311**
डीएचबीवीएन	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएन	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	**(3,391)**	**7,024**
एचपीएसईबीएल	(3,391)	7,024
झारखंड	**(20,512)**	**22,381**
जेबीवीएनएल	(20,512)	22,381
कर्नाटक	**(34,980)**	**47,993**
बेसकॉम	(13,819)	22,611
चेसकॉम	(4,064)	5,410
गेसकॉम	(5,661)	6,147
हेसकॉम	(11,398)	12,251
मेसकॉम	(37)	1,575
केरल	**(38,648)**	**17,638**
केएसईबीएल	(38,648)	17,638
टीसीईडी	-	-
लद्दाख	**-**	**-**
लद्दाख पीडी	-	-
मध्य प्रदेश	**(71,394)**	**49,239**
एमपीएमएकेवीवीसीएल	(30,900)	18,176
एमपीपीएकेवीवीसीएल	(12,503)	14,184
एमपीपीओकेवीवीसीएल	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	**(35,671)**	**90,659**
बीईएसटी	-	-
एमएसईडीसीएल	(35,671)	90,659
मणिपुर	**(290)**	**745**
एमएसपीडीसीएल	(290)	745

मेघालय	**(4,962)**	**1,474**
एमईपीडीसीएल	(4,962)	1,474
मिजोरम	**-**	**-**
मिजोरम पीडी	-	-
नागालैंड	**-**	**-**
नागालैंड पीडी	-	-
पुद्दुचेरी	**-**	**-**
पुद्दुचेरी पीडी	-	-
पंजाब	**(3,404)**	**17,411**
पीएसपीसीएल	(3,404)	17,411
राजस्थान	**(90,303)**	**98,488**
एवीवीएनएल	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	(30,052)	35,569
सिक्किम	**-**	**-**
सिक्किम पीडी	-	-
तमिलनाडु	**(1,19,153)**	**1,01,782**
टीएनपीडीसीएल	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	**(69,741)**	**59,230**
टीएसएनपीडीसीएल	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	**(991)**	**842**
टीएसईसीएल	(991)	842
उत्तर प्रदेश	**(1,00,858)**	**61,395**
डीवीवीएनएल	(33,974)	16,412
केस्को	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	(8,782)	6,562
पीयूवीवीएनएल	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	**(5,482)**	**1,729**
यूपीसीएल	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	**174**	**14,658**
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	174	14,658
प्राइवेट सेक्टर	**30,351**	**14,975**
दिल्ली	**22,184**	**2,914**
बीआरपीएल	12,892	894
बीवाईपीएल	5,650	701
टीपीडीडीएल	3,642	1,319
गुजरात	**3,892**	**3,562**
टोरेंट पावर अहमदाबाद	3,206	3,354
टोरेंट पावर सूरत	686	208
महाराष्ट्र	**1,245**	**3,818**
एईएमएल	1,245	3,818
ओडिशा	**1,263**	**4,531**
टीपीएनओडीएल	480	1,006
टीपीएसओडीएल	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	301	1,093
टीपीसीओडीएल	262	933
उत्तर प्रदेश	**1,561**	**0**
एनपीसीएल	1,561	0
पश्चिम बंगाल	**205**	**151**
आईपीसीएल	205	151
कुल योग	**(6,47,210)**	**7,26,378**

****